

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-01, सैक्टर-नालेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा, 201310

जिला- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

Website: www.greaternoidaauthority.in

पत्रांक-ग्रे०नौ०/का०आ०/वित/2022-23/30338

दिनांक 28 /04 /2022


कार्यालय आदेश

वर्तमान में प्राधिकरण एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में अवस्थापना एवं विकास कार्यों के कारण निवेशकों का आकर्षण बढ़ रहा है। निवेशकों द्वारा औद्योगिक/वाणिज्यिक में काफी रूचि दिखायी जा रही है। विगत 3-4 वर्षों में निवेशकों द्वारा औद्योगिक भूखण्डों को एक मुश्त भुगतान पर आवंटन कराया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक, आई०टी० एवं संस्थागत (धार्मिक भूखण्डों के अतिरिक्त) के भूखण्डों को बिल्डर्स व वाणिज्यिक की भाँति Auction के माध्यम से आवंटित किये जाने हेतु मा० बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जो मा० संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यह आवंटन प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष तथा पारदर्शित भी होगी।

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की 126 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 126/22 को मा० संचालक मंडल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा भविष्य में लायी जाने वाली औद्योगिक, आई०टी० एवं संस्थागत (धार्मिक भूखण्डों के अतिरिक्त) के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के आवंटनों की योजनाओं में परिसम्पत्तियों का आवंटन बिल्डर्स व वाणिज्यिक की भाँति Auction के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

इस प्रकार से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में उद्योग/संस्थागत/आई०टी० आदि योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों को बिल्डर्स व वाणिज्यिक की भाँति Auction के माध्यम से आवंटित किये जाने से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित Reserve Price/Allotment Rate से अधिक धनराशि पर Auction के माध्यम से आवंटित किये जाने से प्राप्त होने वाली अधिक Excess धनराशि का उपयोग गुणवत्ता परक जन सुविधाओं जैसे सड़क निर्माण, पार्कों के रखरखाव, सीवर व्यवस्था, स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवस्था, पानी वितरण, साफ सफाई, गारबेज का निस्तारण आदि के विकास तथा अनुरक्षण पर व्यय करके उच्च कोटि की अवसंरचनात्मक सुविधाएँ यहाँ के आवंटियों/निवेशकों को प्रदान किये जाने में किया जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(अमनदीप डुली)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, (ए०एस०/डी०) महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों (.....) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप महाप्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी